

I/535291/2024

ई-मेल

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,  
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,  
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,  
समस्त विकास प्राधिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 05 अप्रैल, 2024

विषय:- इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने संबंधी।

महोदय,

कृपया इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने संबंधी प्रकरण में अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2024 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त संबंधी शासन के पत्र संख्या-आई/488270/2023-8-3099/74/2023 दिनांक 27.02.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 के अन्तर्गत स्वीकृत इन्टीग्रेटेड टाउनशिप परियोजनाओं के यथावश्यकता डी0पी0आर0 संशोधन अथवा परियोजना अवधि में विस्तार हेतु नीति निर्धारण किये जाने के संबंध में निर्धारित प्रारूप पर वांछित सूचनाएं समयबद्ध रूप से निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। वांछित सूचनाएं आवास बन्धु में अब तक प्रतीक्षित हैं। प्रकरण में इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 एवं इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2014 के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं के विकास की प्रगति से संबंधित अलग-अलग निर्धारित प्रपत्र संलग्न हैं।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण में संलग्न प्रारूपों पर वांछित सूचना प्रत्येक दशा में 02 दिन के अन्दर निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण में नीति निर्धारण के संबंध में अंतिम रूप से मत स्थिर किये जाने हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के स्तर पर शीघ्र बैठक आहूत की जानी है। अतः प्रकरण में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए प्राथमिकता प्रदान किया जाना अपेक्षित है।

संलग्नक: यथोक्त।

Digitally Signed by उदय  
भानु त्रिपाठी  
Date: 04-04-2024 18:06:42  
Reason: Approved

भवदीय,  
(उदय भानु त्रिपाठी)  
विशेष सचिव

प्रतिलिपि:- निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या-1796/वी.सी./ई.ई./मैप/2024 दिनांक 08.02.2024 एवं सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण के पत्रांक-811/डी/भवन/2024 दिनांक 31.01.2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना की प्रति संलग्नकर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रकरण में अन्य संबंधित अभिकरणों से प्राप्त सूचना को समेकित करते हुए नीति निर्धारण के लिए आवश्यक कार्यवाही अविलम्ब कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,  
उदय भानु त्रिपाठी  
विशेष सचिव

पृष्ठ 1/2

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2005 के अधीन प्रदेश में स्वीकृत परियोजनाओं के विकास की प्रगति

विकासकर्ता कम्पनी / कन्सॉर्शियम का नाम: .....

शासकीय अभिकरण का नाम: .....

रिपोर्टिंग तिथि .....01/2024

क्र.सं.	विवरण	वस्तुस्थिति/आख्या
1.	टाउनशिप परियोजना का नाम एवं लोकेशन	
2.	लाइसेन्स निर्गमन की तिथि	
3.	लाइसेन्स हेतु अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	
4.	अब तक कय/असेम्बल कुल भूमि (एकड़)	
5.	कय/असेम्बल भूमि को टाउनशिप के अनुमोदित ले-आउट प्लान पर सुपरइम्पोज करते हुए संलग्न करें	
6.	कय हेतु अवशेष भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
7.	यू.पी.जेड.ए.एल.आर. एक्ट के अधीन छूट क्षेत्रफल (एकड़)	
8.	यू.पी.जेड.ए.एल.आर. एक्ट के अधीन छूट की तिथि	
9.	धारा-4 की अधिसूचना जारी करने की तिथि	
10.	धारा-4 के अधीन अधिसूचित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
11.	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
12.	पुनर्ग्रहण हेतु चिन्हित ग्राम समाज भूमि का क्षेत्रफल	
13.	पुनर्ग्रहीत ग्राम समाज भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
14.	अनुसूचित जाति/जनजाति की कय/पुनर्ग्रहीत भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
15.	डी.पी.आर. अनुमोदन की तिथि को विकासकर्ता के स्वामित्व में उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
16.	डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि	
17.	परियोजना अद्यधि पूर्ण होने की तिथि	
18.	इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014 में माइग्रेशन की तिथि	
19.	टाउनशिप में विस्तार हेतु अनुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	
20.	विस्तारित क्षेत्रफल के अनुमोदन की तिथि	
21.	विस्तार सहित टाउनशिप का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	
22.	संशोधित डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि	
23.	संशोधित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजना पूर्ण होने की तिथि	
24.	प्रथम चरण के डिटेल्ड ले-आउट प्लान का क्षेत्रफल (एकड़)	
25.	प्रथम चरण के विकास अनुबन्ध निष्पादन की तिथि	

26.	कुल निष्पादित विकास अनुबन्ध (प्रत्येक की तिथि एवं क्षेत्रफल)	
27.	शासन द्वारा अनुमोदित भू-उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
28.	परफार्मेंन्स गारन्टी हेतु बंधक रखी भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
29.	बंधक रखी भूमि से अयमुक्त भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
30.	परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की तिथि	
31.	नगरीय विकास शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि (रूपये)	
32.	अब तक विकसित भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	
33.	विकास कार्यों की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	
34.	निर्धारित अवधि में विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण एवं औचित्य	
35.	अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भूखण्डों/भवनों की कुल संख्या:	
(क)	विकसित/निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्डों/भवनों की संख्या	
(ख)	विकसित/निर्मित एल.आई.जी. भूखण्डों/भवनों की संख्या	
36.	पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, विद्युत सब-स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि (प्रत्येक का पृथक-पृथक क्षेत्रफल)	
37.	पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के लिए आरक्षित भूमि (प्रत्येक का पृथक-पृथक क्षेत्रफल)	
38.	ग्रामीण आबादियों को जनसुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति	
39.	पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गमन की तिथि	
40.	रख-रखाव हेतु स्थानीय निकाय को हस्तान्तरण की स्थिति	
41.	क्या विकासकर्ता द्वारा परियोजना अवधि में विस्तार की मांग की गई है? यदि हां, तो कितने वर्ष? :	
42.	क्या लाइसेन्स हेतु अनुमोदित क्षेत्रफल को कम किए जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कितने एकड़?	
43.	परियोजना से अवमुक्त होने वाली भूमि के अन्तर्गत यू.पी.जेड.ए.एल. आर. एक्ट के अधीन प्रदत्त छूट अथवा अन्य छूटों की वापसी के सम्बन्ध में सुझाव	
44.	अन्य कोई बिन्दु, जो शासन के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक हो	

नोट: जो लागू न हो, उसे काट दिया जाए।

हस्ताक्षर आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष

इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति, 2014 के अधीन स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्टिंग हेतु प्रपत्र

शासकीय अभिकरण का नाम: .....

विकासकर्ता कम्पनी/कन्सॉर्शियम का नाम: .....

(जो लागू हो, उसी का विवरण दिया जाए)

रिपोर्टिंग तिथि ...../2024

क्र.सं.	विवरण	वस्तुस्थिति/आख्या
1.	परियोजना का नाम एवं लोकेशन	
2.	लाइसेन्स निर्गमन की तिथि	
3.	मूल लाइसेन्स हेतु अनमुमोदित क्षेत्रफल (एकड़)	
4.	विस्तार सहित लाइसेन्स क्षेत्रफल (एकड़)	
5.	अधिनियम के अधीन अर्जित भूमि (एकड़)	
6.	यू.पी.जेड.ए.एल.आर. एक्ट के अधीन छूट से युक्त भूमि (एकड़)	
7.	सीलिंग की सरप्लस आवंटित भूमि (एकड़)	
8.	ग्राम सभा/स्थानीय प्राधिकारी में निहित भूमि का पुनर्ग्रहण (एकड़)	
9.	अनुसूचित जाति/जनजाति की कय की गयी भूमि (एकड़)	
10.	विकासकर्ता द्वारा कय/असेम्बल कुल भूमि (एकड़)	
11.	डी.पी.आर. के अनुमोदन की तिथि	
12.	प्रथम चरण के डिटेल्ड ले-आउट प्लान का क्षेत्रफल (एकड़)	
13.	प्रथम चरण के विकास अनुबन्ध निष्पादन की तिथि	
14.	परियोजना अवधि पूर्ण होने की तिथि	
15.	कुल निष्पादित विकास अनुबन्ध (प्रत्येक की तिथि एवं क्षेत्रफल)	
16.	शासन द्वारा स्वीकृत भू-उपयोग (एकड़)	
17.	विकास कार्यों की परफार्मेंन्स गारन्टी हेतु बंधक रखी 20 प्रतिशत विकय-योग्य भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
18.	बंधक रखी भूमि से अवमुक्त भूमि का क्षेत्रफल (एकड़)	
19.	टाउनशिप के विकास कार्यों (सड़कें, ड्रेनेज, जलापूर्ति, सीवरज, स्ट्रीट-लाइटिंग, पार्क एवं खुले क्षेत्र, आदि) की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	
20.	परियोजना अवधि में विकास कार्य पूर्ण न होने के कारण एवं औचित्य	

21.	अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. भूखण्डों/भवनों की पृथक-पृथक संख्या:	
(क)	विकसित/निर्मित ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्डों/भवनों की संख्या	
(ख)	विकसित/निर्मित एल.आई.जी. भूखण्डों/भवनों की संख्या	
(ग)	परफारमेंन्स गारन्टी हेतु योजना की 10 प्रतिशत विक्रय-योग्य बंधक रखी भूमि (एकड़)/समतुल्य बैंक गारन्टी (रु. लाख)	
(घ)	बैंक गारण्टी की दशा में उसकी वैधता की तिथि	
(ड)	अवमुक्त भूमि (एकड़)/अवमुक्त बैंक गारन्टी (रु. लाख)	
22.	लाइसेन्स क्षेत्र में स्थित ग्रामीण आवादियों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु अनुमोदित डी.पी.आर. में अगणित धनराशि (रु. लाख)	
23.	आवादियों के विकास पर हुआ कुल व्यय (रु. लाख)	
24.	टाउनशिप में स्थित महायोजना मार्ग, पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन बेल्ट का विकासकर्ता द्वारा अपने व्यय पर विकास की भौतिक प्रगति (प्रतिशत)	
25.	पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, विद्युत सब-स्टेशन हेतु आरक्षित भूमि (प्रत्येक का पृथक-पृथक क्षेत्रफल)	
26.	पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, स्कूल, अस्पताल के लिए आरक्षित भूमि (प्रत्येक की संख्या एवं पृथक-पृथक क्षेत्रफल)	
27.	डी.पी.आर. के अन्तर्गत पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन बेल्ट हेतु आरक्षित क्षेत्रफल (एकड़)	
28.	विकसित पार्क एवं खुले क्षेत्र/ग्रीन बेल्ट का क्षेत्रफल (एकड़)	
29.	क्या विकासकर्ता द्वारा परियोजना अवधि में विस्तार की मांग की गई है? यदि हां, तो कितने वर्ष?	
30.	क्या लाइसेन्स हेतु अनुमोदित क्षेत्रफल को कम किए जाने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो कितने एकड़?	
31.	परियोजना से अवमुक्त होने वाली भूमि के अन्तर्गत विकासकर्ता को प्रदत्त विभिन्न छूटों की वापसी के सम्बन्ध में सुझाव	
32.	अन्य कोई बिन्दु, जो शासन के संज्ञान में लाया जाना आवश्यक हो	

नोट: टाउनशिप के ले-आउट प्लान को सजरा मानचित्र पर "सुपरइम्पोज" करते हुए उसके अन्तर्गत विकासकर्ता के स्वामित्व की भूमि, अर्जित भूमि, पुनर्ग्रहीत भूमि, अनुसूचित जाति/जनजाति की कय की गई भूमि, सीलिंग की सरप्लस आवंटित भूमि, यू.पी.जेड.एल.आर. एक्ट के अधीन छूट की भूमि तथा कय हेतु अवशेष भूमि का चिन्हीकरण एवं प्रत्येक प्रकार की भूमि का क्षेत्रफल विवरण इस प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

हस्ताक्षर आवास आयुक्त/उपाध्यक्ष